


अजय अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

कासबाती देवी सलीम मुहम्मद नि. जहाजपुर

बनाम

मदीना बेगम सलीम सलीम मोहम्मद नि. पीपलुन्द वगैरा

किरम मुकदमा प्र० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 29/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का विवरण आज	संख्या व तारीख कासबाती देवी मुकम की तारीख व जारी हुई
04.21	<p>प्रार्थना पत्र सिधे से बाद जॉन रिपोर्ट पेश हुआ। इकराम दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अधिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि ये एकल/समुक्ता खानों की भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3155/13 रकबा 700 बीघा आन 3160/13 रकबा 500 बीघा स्थित है। विपरीतपक्ष आठ दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरपट्टी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का साथ पत्र संलग्न है।</p> <p>ये पत्रावली का अन्तोकम किया सुप्रीम अधिभाषक/प्रार्थी की एक शर्तीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न मकलम जमाबन्दी सम्बन्ध 2072 से 2075 तक के अन्तोकम से पत्थरपट्टी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/समुक्ता स्वामित्व की है। पट्टीसिमान के विवाद करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरपट्टी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 पत्रों में एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3155/13 रकबा 700 बीघा आन 3160/13 रकबा 500 बीघा की सम्बन्धता पट्टीसिमान के पत्थरपट्टी करने हेतु सू अधिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कथिना नियुक्त किया जाता है। कथिना कीस 1200 रु तक किये जाते है। जो प्रार्थी पीके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोष में जमा कराये। बालना हेतु तहसीलवार जहाजपुर को लिखा जाये। बालना रिपोर्ट सिध प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 04.2021 को सुने न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              जहाजपुर(भीलवाडा)         </p>	